निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 भाद्र 1947 (श0)

(सं0 पटना 1521) पटना, बुधवार, 17 सितम्बर 2025

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

17 सितम्बर 2025

अधिसूचना सख्ंया 17/2025– राज्य कर (दर)

एस0 ओ0 158, दिनांक 17 सितम्बर 2025––बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम–12, 2017) की धारा 9 की उप–धारा (5) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या–17/2017–राज्य–कर (दर) दिनांक 29 जून 2017 जिसे बिहार गजट असाधारण संख्या 560, दिनांक 29 जून 2017, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः–

1. उक्त अधिसूचना में, खंड (**IV**) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात–ः

   ''(**V**) स्थानीय डिलीवरी देने के रूप में सेवाएं सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति बिहार माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के तहत पंजीकरण के लिए उतरदायी है''।

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से लागू होगी।

[(सं0सं0 बिक्री–कर/जीएसटी/विविध 21/2017–(खंड–21) 17)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

17 सितम्बर 2025

एस० ओ० 158, दिनांक 17 सितम्बर, 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री–कर/जीएसटी/विविध 21/2017–(खंड–21) 17)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 17th September 2025

Notification No. 17/2025- State Tax (Rate)

S.O. 158, Date The 17th September 2025-- In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department, Notification No. 17/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 560, dated the 29th June, 2017 , namely:-

In the said notification, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:-

> "(v) services by way of local delivery except where the person supplying such services through electronic commerce operator is liable for registration under sub section (1) of section 22 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017".

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd day of September 2025.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-21) 17)]
By the order of Governor of Bihar,
Sanjay Kumar Singh,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 1521-571+10-डी0टी0पी0 ।
Website: https://egazette.bihar.gov.in